

**मध्यप्रदेश शासन**  
**गृह विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**

**आदेश**

भोपाल दिनांक 02 जून 2010


क्रमांक एफ 3-14/09/बी-3/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के समर्संख्यक आदेश दिनांक 22.01.2010 के द्वारा बैंकों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों को प्रदाय किये जा रहे स्थाई एवं अस्थाई पुलिस गार्ड, आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक की दरें निर्धारित की गई थीं, एतद् द्वारा अब आरक्षक से निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर स्तर के पुलिस अधिकारियों के निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं:—

क्र.	पदनाम	स्थाई तौर पर प्रदाय गार्ड के लिये वार्षिक, प्रतिव्यक्ति	अस्थाई तौर पर गार्ड के लिये प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति
1	2	3	4
1	निरीक्षक / क०कमा०	6.00 लाख रूपये	3400 रूपये
2	उप निरी० / घ्ला०कमा०	5.50 लाख रूपये	3100 रूपये
3	सहा.उप निरी० / से०कमा०	4.50 लाख रूपये	2500 रूपये
4	प्रधान आरक्षक	4.00 लाख रूपये	2200 रूपये
5	आरक्षक	3.25 लाख रूपये	1800 रूपये

- 2— ये दरें वेतन, भत्ते आदि के साथ पेंशन/अवकाश, वेतन/आर्स/एम्युनेशन, बिजली, पानी आदि के समस्त खर्चों को शामिल कर निर्धारित की गई हैं।
- 3— बिना पद की स्वीकृति प्रदाय किये जा रहे गार्ड को अस्थाई रूप में माना जायेगा।
- 4— उपरोक्त दर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष की राशि इसी नये दर पर दिनांक 01.04.2010 से प्राप्त की जाये।
- 5— प्रदाय गार्ड के लिये भुगतान छःमाही तौर पर अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जायेगा। परन्तु इसके साथ एक वर्ष की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी।

- 6— वित्तीय वर्ष 2011-2012 एवं इसके बाद के लिये वित्त विभाग की सहमति से प्रतिवर्ष के लिये दर गृह विभाग द्वारा 31 दिसम्बर तक निर्धारित की जायेगी।
- 7— उक्त व्यवस्था ऐसी अन्य सभी संस्थाओं के लिये भी लागू होगी जहाँ बिना कीमत के अथवा अन्य तरीके से निर्धारित दरों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की कोई संवैधानिक/अनुबंध अंतर्गत बाध्यता नहीं है।
- 8— यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ० क्र० 452/513/ब-८/चार/१०, दिनांक 25.05.2010 द्वारा प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
26.06.10  
(अनिल कुमार)  
OK अपर सचिव  
म०प्र० शासन गृह विभाग

पृष्ठा क्र. एफ 3-14/09/बी-३/दो,

भोपाल दिनांक 02 जून 2010

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

- 1— पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3— महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 4— आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।

  
26.06.10  
अपर सचिव  
म०प्र० शासन गृह विभाग